291 3 नए सीएसआर और सम्पोषणीयता संबंधी दिशा–निर्देशों के तहत उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्यकलाप।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24 जून, 2013 के समसंख्यक का.ज्ञा. के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने सूचित किया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के लिए उनके द्वारा दिए गए दान/अंशदान को लौटा दिया गया है और प्रधानमंत्री के कार्यालय ने यह सूचित किया है कि "सरकारी/बजटीय सहायता से अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के तुलन–पत्रों से किए गए अंशदानों" को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. मामले की पहले ही जांच कर ली गई है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन को इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 15(9)/2013–डीपीई(जीएम), दिनांकः 19 सितंबर, 2013)

******